## 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता विश्वकर्मा पुत्र लालजी राजभर निवासी चोरमरा थाना धनघटा जनपद संतकबीरगनर को 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 72 / 2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 चन्दन कुमार मय हमराह।

### संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा दिवश के दौरान 01 वारण्टी नाम बैजनाथ केवट पुत्र रामिसंगार केवट निवासी पक्का पोखरा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। गिरफ्तारी टीम- उ0िन0 नत्थू प्रसाद, हे0कां0 रामबहादुर यादव, कां0 राहुल कुमार

## शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 15 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

#### पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1483 द्वारा दुर्घटना में घायल दो व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल — पीआरवी 1483 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत मगहर से इवेन्ट संख्या 04716 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में दो व्यक्तियों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 10 मिनट में पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया तथा तथा दुर्घटना के संबन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल दो व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचाकर उनकी जान बचाई गयी , जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

## पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 जीवनचन्द्र, आरक्षी ब्रह्मा, हो0चा0 राशीद अहमद।

# मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 69 वाहनों से 62000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 20.02.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 62 वाहनों से 62000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।